

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) P- 18

परीक्षा 20..... मुख्य/पूरक/सेमेस्टर/एटीकेटी

कृपया अपना उत्तर परीक्षा नियंत्रक
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा
(म.प्र) को इस पत्र का क्रमांक व संदर्भ
सहित भेजे।

कार्यालय छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र)

दिनांक / / 20

क्रमांक यू.एफ.एम./

अनुशासन संहिता के अंतर्गत कारण सहित स्पष्टीकरण हेतु सूचना।

टीप :- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा पारित अध्यादेश क्रमांक (6) में वर्णित
अनुशासन संहिता को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा यथावत अंगीभूत किया गया है।

परीक्षार्थी का नाम श्री/कुमारी

कक्षा अनुक्रमांक पंजीयन क्रमांक

विषय - छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की अनुशासन संहिता के अंतर्गत परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करना।

- 1 छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के परीक्षा केंद्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक को विषय के प्रश्न पत्र में नकल करते हुये / नकल करने के कोशिश करते हुये / अनुशासनहीन व्यवहार करते हुये पाये गये, जो उपरोक्त संहिता के अंतर्गत आपत्ति जनक तथा दण्डनीय है।
- 2 अतः इस नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कारण सहित स्पष्टीकरण दीजिये कि इस छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के अनुशासन संहिता के अंतर्गत आपकी परीक्षा में बैठने की पात्रता रद्द क्यों न की जावे तथा आपको दण्डित क्यों न किया जावे ?
- 3 यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित समय (15 दिन) के भीतर इस कार्यालय को प्राप्त न हुआ तो यह मान लिया जावेगा कि आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं तथा नियमानुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
- 4 परीक्षक/परीक्षा वीक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गये प्रतिवेदन का सारांश निम्नालिखित है।
.....
.....
.....
.....
.....

- 5 कृपया इस सूचना की अभिस्वीकृति भेजिये।

परीक्षा नियंत्रक
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र)

युक-पोस्ट

श्री